विविध [illegible]/अपील/[illegible] 88/2016

दिनांक	आज्ञा पत्र	
8.2.23	पत्रावली पेश। वकील अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. नं. 02 की ओर से श्री विनोद सिंह एड. ने वकालतनामा पेश किया शामिल रहे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 29.3.23 को पेश हो	
29.3.23	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली रहे / तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक ....12.7.23.... को पेश हो। पत्रावली में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।	
12.7.23	पत्रावली पेश। प्रकरण में शेष रेस्पोंडेंटस की तामील हेतु इस न्यायालय द्वारा आदेश 5 नियम 9(3) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की पालना में रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भिजवाये गये थे। आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार समन जारी करने की तिथि से 30 दिन के भीतर रजिस्टर्ड डाक अथवा प्राप्ति रसीद प्राप्त नहीं होने के कारण तामील पर्याप्त मानी जाती है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक.......11.10.23.... को पेश हो।	
11.10.23	पत्रावली पेश। अपीलांट/रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने जाहिर किया है कि यह अपील धारा 212 में पारित आदेश के विरूद्ध धारा 225 में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण में मूलवाद का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है इसे खारिज किया जावे। चूंकी विचारण न्यायालय में मूलवाद खारिज हो चुका हैं अतः यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है। फलस्वरूप अपील अपीलांट प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है।। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरजीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *
सत्यमेव जयते